



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/11/01/2019-रा.भा.

दिनांक : /04/2026

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
सेक्टर-2, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश)

विषय : राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) के 80% से अधिक कार्मिकों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 02.03.2026 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 26-04-2026
12:56:27
(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/11/01/2019-रा.भा.

दिनांक : /04/2026

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता – 700104

विषय : राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जोका, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के 80% से अधिक कार्मिकों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 02.03.2026 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 26-04-2026
12:54:39
(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/11/01/2019-रा.भा.

दिनांक : /04/2026

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
जैसलमेर रोड, बीकानेर – 334001

विषय : राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बीकानेर (राजस्थान) के 80% से अधिक कार्मिकों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 02.03.2026 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 26-04-2026
12:52:45
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/11/01/2019-रा.भा.

दिनांक : /04/2026

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
सर्वेक्षण संख्या 690, बिबवेवाड़ी, पुणे – 411037

विषय : राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बिबवेवाड़ी, पुणे के 80% से अधिक कार्मिकों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 02.03.2026 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 26-04-2026
11:30:44 (शुक्रवार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/11/01/2019-रा.भा.

दिनांक : /04/2026

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
नरोड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास, हिम्मतनगर हाइवे,
पी-कुबेरनगर, अहमदाबाद, गुजरात – 382340

विषय : राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नरोड़ा, अहमदाबाद के 80% से अधिक कार्मिकों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 02.03.2026 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar

Date: 26-04-2026

(श्याम कुमार)

12:48:59
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

ORDER

“The action of the management of WCL through the Superintendent of Mines, Ballarpur Distt. Chandrapur in termination of service of the applicant Shri Mallesh Chandraiah, Ex. Senior Clerk Ballarpur Colliery, 3 & 4 Pits, Ballarpur Dist. Chandrapur is just, fair and legal. The workman Late Mallesh Chandraiah is not entitled to any relief.

Justice (retd.) SHIV SHANKER PRASAD, Presiding Officer

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026

का.आ. 295.—केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है:

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, साहिबाबाद, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जोका, (पश्चिम बंगाल)
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बीकानेर (राजस्थान)
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बिबवेवाड़ी, पुणे
5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नरोडा, अहमदाबाद

[सं. ई-11016/1/2022-रा.भा.नी]

अतनु कुमार चौधुरी, उपमहानिदेशक

(Hindi Section)

New Delhi, the 2nd March, 2026

S.O. 295.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Employees' State Insurance Corporation Hospital, Sahibabad, Ghaziabad (Uttar Pradesh)
2. Employees' State Insurance Corporation Medical College and Hospital, Joka (West Bengal)
3. Employees' State Insurance Corporation Hospital, Bikaner (Rajasthan)
4. Employees' State Insurance Corporation Hospital, Bibvewadi, Pune
5. Employees' State Insurance Corporation Medical College and Hospital, Naroda, Ahmedabad

[No. E-11016/1/2022-RBN]

ATANU KUMAR CHOWDHURY, Dy. Director General

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026

का.आ. 296.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय हैदराबाद के पंचाट (105/2002) प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12012/186/2000-आई आर(बी-1)]

सलोनी, उप निदेशक